

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या-वन्यप्राणी-14/2012 (खंड)

/प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-...../01/2026

राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र, पटना की स्थापना एवं संचालन हेतु विभागीय संकल्प संख्या-20 (ई०), दिनांक-12.01.2025 द्वारा बनाए गए उप नियम 2014 की कंडिका-15 में केन्द्र के निदेशक की नियुक्ति, अवधि, कार्य तथा शक्ति निर्धारित है।

उक्त उप नियम 2014 की कंडिका-15 की उप-कंडिका (i) में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र, पटना के निदेशक की नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार के चयन के निमित्त समिति के गठन का प्रावधान है। इस आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा चयन समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

i.	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
iii.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व०ब०प्र०), बिहार	सदस्य

2. निदेशक, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र, पटना की नियुक्ति के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-5371, दिनांक-04.10.2025 में विहित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे।

3. चयन समिति प्राप्त सभी योग्य व्यक्तियों के आवेदनों पर विचार करेगी तथा संक्षिप्त अभ्युक्ति अभिलिखित करते हुए निदेशक के लिए योग्य उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी। इस पैनल से सफल उम्मीदवार की नियुक्ति निदेशक पद के लिए राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

4. इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-4776, दिनांक-29.08.2025 को अवक्रमित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-
(आलोक कुमार)
मुख्य वन संरक्षक-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-वन्यप्राणी-14/2012 (खंड) /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-...../01/2026

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/निदेशक, राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(आलोक कुमार)

मुख्य वन संरक्षक-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-वन्यप्राणी-14/2012 (खंड) /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-...../01/2026

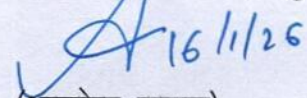
प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सभी वन संरक्षक, बिहार/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/सभी विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(आलोक कुमार)

मुख्य वन संरक्षक-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-वन्यप्राणी-14/2012 (खंड) ³⁹⁰ /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-¹⁹ /01/2026

प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आलोक कुमार)

मुख्य वन संरक्षक-सह-विशेष सचिव